

फार्म-2  
FORM-2

बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्णा  
REIMBURSEMENT OF CHILDREN EDUCATION ALLOWANCE  
{Ref:OM No. 120111/03/2008(Assurance) Dated 02/09/2009}

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि जिन बच्चों/जिस बच्चे के लिए शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्णा का दावा किया गया है वह पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित है।

1. Certified that the children/child mentioned below in respect of whom reimbursement of Children Education Allowance claim is wholly dependent upon me:-

बच्चे का नाम व जन्म तिथि Name of the Child & Date of Birth	विद्यालय जिस में पढ़ रहा है School in which studying	कक्षा जिस में पढ़ रहा है व ए/वाइ Class in which studying & A/Y	शिक्षा के लिए दिया गया कुल शुल्क Total Education Allowance paid	प्रतिपूर्णा की रकम जिसका दावा किया है Total Amount of reimbursement claimed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				रु.Rs.
#शिक्षा शुल्क- पूरे वर्ष के लिए #Tuition fees - for the Whole Year 2016-17/I/II/III/IV				
पुस्तकों की खरीद पर व्यय Purchase of Books		एक जोड़ा/बच्चा/वर्ष(One set/per child/per A/Y)		रु.Rs.
कॉपियों की खरीद पर व्यय Purchase of Note Books		एक जोड़ा/बच्चा/वर्ष(One set/per child/per A/Y)		रु.Rs
पोशाक की खरीद पर व्यय Purchase of Uniforms		दो जोड़े / बच्चा/वर्ष(Two set/per child/per A/Y)		रु.Rs
जूतों की खरीद पर व्यय Purchase of School Shoes		एक जोड़ा/बच्चा/वर्ष(One set/per child/per A/Y)		रु.Rs
कुल/योग ऊपर कॉलम 4 में भरा जाये Total to be filled in column 4 above				रु.Rs

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि बच्चे/बच्चों के लिए दर्शाया गया शिक्षा शुल्क मेरे द्वारा दिया गया है। (रसीद संलग्न)

(नोट:- विद्यालय के शुल्क का कार्ड/बैंक चालान/रसीद सब मूल प्रति संलग्न करनी है।)

3. Certified that the Education Allowance indicated against the Child/Children has actually been paid by me (Receipts enclosed)  
(Note:- Copy of School fee card & Bank challans/Paid up Receipts/purchase receipts in original are to be enclosed)

(i) मेरी पत्नी/मेरे पति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

(ii) मेरी पत्नी/मेरे पति केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं किन्तु उन्होंने बच्चों की शिक्षा के भत्ते के लिए दावा नहीं किया है/नहीं करेंगे।

(i) my spouse is not a Central Government servant.

(ii) my spouse is a Central Government servant and that she/he has not claimed/will not claim children's education allowance in respect of our child/children.

4. प्रमाणित किया जाता है कि शिक्षा शुल्क के दावे की अवधि के दौरान बच्चा नियमित रूप से विद्यालय गया और बिना उचित छुट्टी लिए वह एक माह की अवधि से अधिक अनुपस्थित नहीं रहा। Certified that during the period covered by the claim the child attended the school regularly and did not absent himself/herself from the school without proper leave for a period exceeding one month.

5. ऊपर दिए गए विवरण में बदलाव होने से यदि मेरे बच्चों की शिक्षा भत्ते की पात्रता पर प्रभाव पड़ता है तो इसकी सूचना मैं तुरंत दूंगा और यदि मुझे अतिरिक्त/अधिक भुगतान हुआ है तो उसे वापस करूंगा। In the event of any change in the particulars given above which affect my eligibility for children's educational allowance, I undertake to intimate the same promptly and also to refund excess payments, if any, made.

Note:# शिक्षण शुल्क में प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, संगीत, प्रयोगात्मक कार्य अनुभव कार्यक्रम, किसी प्रकार के उपकरण के प्रयोग, पुस्तकालय, खेल आदि के लिए लिया गया शुल्क है। Tuition fees means Tuition fees, Admission fee, lab fee, special fee charged for agriculture, electronics, music or any other subject, Fee charged for practical work under the programme of work experience, fee paid for the use of any aid or appliance by the child, library fee, games/sport fee and fee for extracurricular activities.

संलग्न Encl:

स्थान एवं तिथि

Place & Date:

( सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of the Govt. servant)